

## प्रारूप 1 (फॉर्म-1)

(नियम 17 देखिए)

वाणिज्यिक उपयोग एवं संबंधित पारंपरिक ज्ञान हेतु/जैवसंसाधनों तक पहुंच/जैविक संसाधनों के संग्रहण के लिए आवेदन प्रारूप

### भाग क

1. आवेदक का पूर्ण विवरण :

(क) नाम : .....

(ख) स्थायी पता : .....

.....

.....

(ग) भारत में संपर्क व्यक्ति/अभिकर्ता, यदि कोई हो, का पता : .....

.....

.....

.....

(घ) संगठन की रूपरेखा (यदि आवेदक कोई व्यक्ति हो तो व्यक्तिगत रूपरेखा) :.....

(कृपया अधिप्रमाणन के लिए संबंधित दस्तावेज संलग्न करें) : .....

.....

.....

.....

(ड) कारोबार की प्रकृति : .....

.....

(च) भारतीय रूपये में संगठन का व्यापारवर्त : .....

.....

.....

.....

2. पहुंच के लिये चाही गई प्रकृति तथा जैविक सामग्री और या संबंधित ज्ञान तक पहुंच के बारे में ब्यौरे तथा विनिर्दिष्ट जानकारी।

(क) जैवसंसाधन की पहचान (वैज्ञानिक नाम) एवं उसका पारंपरिक उपयोग : .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(ख) प्रस्तावित संग्रहण की भौगोलिक स्थिति (जिसमें सम्मिलित है ग्राम, जनपद तथा जिला):

.....

.....

.....

.....

(ग) पारंपरिक ज्ञान का विवरण प्रकृति तथा उसका विद्यमान विवरण एवं उपयोग (मौखिक दस्तावेजी)

.....

.....

.....

.....

(घ) पारंपरिक ज्ञान रखने वाला कोई पहचाना हुआ व्यक्ति / कुटुंब / समुदाय:

.....

.....

.....

(ङ) संग्रहित किए जाने वाले जैवसंसाधन की मात्रा

.....

(च) समय सीमा जिसके भीतर जैवसंसाधन संग्रहित किया जाना प्रस्तावित है :

.....

(छ) कम्पनी द्वारा संग्रहण करने के लिये प्राधिकृत व्यक्तियों के नाम और संख्या :

.....

.....

(ज) पहुंच का प्रयोजन, जिसके लिए अनुरोध किया गया है जिसमें सम्मिलित है अनुसंधान का प्रकार और विस्तार, उत्पन्न किया जा रहा वाणिज्यिक उपयोग और व्युत्पन्न होना प्रत्याशित है:

.....

.....

.....

.....

(झ) क्या संसाधनों के संग्रहण अथवा उपयोग से जैवविविधता के किसी घटक को खतरा है।पहुंच से उत्पन्न हो सकने वाले खतरे :

.....

.....

.....

3. उन जैवसंसाधनों जिन तक पहुंच की गयी तथा पारंपरिक ज्ञान के प्रयोग से समुदायों को हो सकने वाले सभी लाभों का प्राक्कलन।

.....

.....

.....

4. लाभों के प्रभाजन को प्रस्तावित की कार्यविधि तथा व्यवस्था।

.....

.....

.....

5. कोई अन्य जानकारी :-

.....

## भाग ख

### घोषणा

मैं/हम घोषणा करते हैं कि

- प्रस्तावित जैवसंसाधनों के संग्रहण एवं उपयोग संसाधनों की पोषणीयता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा,
- प्रस्तावित जैवसंसाधनों के संग्रहण एवं उपयोग से कोई पर्यावरणीय प्रभाव नहीं पड़ेगा,
- प्रस्तावित जैवसंसाधनों के संग्रहण से पास्थितिकी तंत्र प्रजातियों तथा आनुवांशिक विविधता सहित जैवविविधता के लिए कोई खतरा उत्पन्न नहीं करेगा।
- प्रस्तावित जैवसंसाधनों का संग्रहण एवं उपयोग स्थानीय समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा,

मैं/हम, कोई भी फीस तथा/या रायल्टी का, जो बोर्ड या जैवविविधता प्रबंधन समिति द्वारा उदग्रहीत की जाए, भुगतान करने का वचन देते हैं। मैं/हम, अवसूलीय बैंक प्रत्याभूति जैसे कि बोर्ड विहित की जाएं, देने का भी वचन देते हैं।

मैं/हम आगे घोषणा करते हैं कि, आवेदन पत्र में दी गई जानकारी सत्य एवं प्रामाणिक है तथा मैं/हम किसी गलत/असत्य जानकारी के लिए जिम्मेदार होंगे।

हस्ताक्षर

स्थान :

नाम

तारीख :

शीर्षक